रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112021-231136
CG-DL-E-15112021-231136

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2021/कार्तिक 21, 1943
No. 643] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021/KARTIKA 21, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2021

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2021

सा.का.नि. 792(अ).—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 34 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एनएचएआई अधिनियम, 1988 की धारा 35 के तहत बनाए गए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः-** (1) इन विनियमों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2021 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

पद का नाम	पद संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन लेवल	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
उप प्रबंधक (तकनीकी)	110 (2021) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन लेवल-10 (56,100-1,77,500)	सीधी भर्ती (80%) / प्रतिनियुक्ति (20%)

आयु सीमा	**अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव**	**सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनमें भर्ती की जानी है**
6	**7**	**8**
सीधी भर्ती के लिए: 30 वर्ष से अधिक नहीं; प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरी में उपाधि (डिग्री)	**(1) सीधी भर्ती द्वारा:-** (i) कॉलम-7 में निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारक उम्मीदवारों में से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार भर्ती एजेंसी के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी। सीधी भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी और इसमें लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार लिया जाएगा जिसमें भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण मानदंड लागू होंगे और इसमें एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी। अथवा (ii) संघ लोक सेवा आयोग की इंजीनियरी सेवा परीक्षा के साक्षात्कार में शामिल हुए उम्मीदवारों से। उम्मीदवारों का चयन मैरिट एवं आरक्षण मानदंड के आधार पर होना चाहिए। अथवा (2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में नियमित आधार पर सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) का पदधारी केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति के माध्यम से।** **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष होगी जिसे अध्यक्ष, एनएचएआई के अनुमोदन से 2 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 5 वर्ष से आगे और अधिकतम 10 वर्ष तक का विस्तार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से किया जाएगा जो संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अध्यधीन होगा।

[फा. सं. ए-48011/1/2021-ई-।।(बी)]

कमलेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2021

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2021

G.S.R. 792(E).—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 34 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), Ministry of Road Transport and Highways hereby makes the following amendments in the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, framed by NHAI under section 35 of the NHAI Act, 1988.

1. **Short Title and commencement:-** (I) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date or their publication in the Official Gazelle.

Name of Post	No. of Post	Classification of post	Pay Level	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Deputy Manager (Technical)	110 (2021) subject to variation dependent on workload	Group-A	Pay Level- 10 (Rs. 56100- 177500)	Direct Recruitment (80%) / Deputation (20%)

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by direct recruitment / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
For direct recruitment: Not exceeding 30 years Deputation Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification:-** Degree in Civil Engineering from a recognized University/Institute:	**(1) By direct recruitment:-** (i) through recruiting agency as decided by the Government from the candidates possessing the essential educational qualification stipulated in Column 7. Direct Recruitment will be though open advertisement and will have written tests and interview with applicable reservation criteria as per GOI rules and will have probation of one year. or (ii) from among the candidates appeared for UPSC's Engineering Service Examination interview. The selection of candidates should be based on merit and reservation criteria. or (2) **By Deputation** from officers of Central Engineering Service (Road) of Ministry of Road Transport & Highways holding the post of Assistant Executive Engineer (Civil) on regular basis. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman, NHAI. Further extension beyond 5th year and up to a maximum of 10 years shall be with the approval of the Ministry of Road Transport and Highways subject to satisfactory performance.

[F. No. A-48011/1/2021-E-II(B)]

KAMLESH CHATURVEDI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.15 12:23:36 +05'30'